

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
मांग संख्या 8
उर्वरक विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
	26.50	12727.98	12754.48	26.50	11804.35	11830.85	26.35	12669.85	12696.20	
	170.50	217.72	388.22	170.50	268.65	439.15	103.82	28.15	131.97	
	197.00	12945.70	13142.70	197.00	12073.00	12270.00	130.17	12698.00	12828.17	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	5.78	5.78	...	6.12	6.12	...	6.17	6.17
फसल कार्य										
2. आयातित उर्वरकों पर सब्सिडी	2401	...	709.25	709.25	...	1.00	1.00	...	473.00	473.00
2.1 नियंत्रण मुक्त किए गए उर्वरकों की										
स्वयत्ती बिक्री के लिए विनिर्माताओं/	2401	...	4456.00	4456.00	...	3656.00	3656.00	...	4046.00	4046.00
एजेंसियों को भुगतान										
उर्वरक उद्योग										
3. देशी उर्वरकों पर आर्थिक सहायता	2852	...	7555.00	7555.00	...	8139.55	8139.55	...	8143.15	8143.15
4. भारत-यूनाइटेड किंगडम उर्वरक विकास										
कार्यक्रम- अनुदान ड्राईलैंड फार्मिंग										
परियोजना										
4.01 बारासी खेती के लिए										
कृषकों को अनुदान	2852	18.00	...	18.00	18.00	...	18.00	23.64	...	23.64
5. उर्वरक विकास के लिए अन्य अनुसंधान										
योजना										
5.01 अनुसंधान और विकास के लिए										
पी.डी.आई.एल को अनुदान	2852	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
5.02 एस. एंड टी. कार्यक्रम	2852	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	1.50	...	1.50
जोड़		7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	1.50	...	1.50
6. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को										
आयोजना-भिन्न ऋण										
6.01 हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर										
कारपोरेशन लिमिटेड	6855	...	50.00	50.00	...	4.85	4.85	...	0.01	0.01
6.02 फर्टिलाइजर कारपोरेशन										
ऑफ इंडिया लिमिटेड.	6855	...	60.00	60.00	...	4.49	4.49	...	0.01	0.01
6.03 प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट										
(इंडिया) लि.	6855	...	17.99	17.99	...	136.51	136.51
6.04 पाईराइट्स, फॉस्फोरस										
एण्ड केमिकल्स लि.	6855	...	54.00	54.00	...	27.07	27.07	...	0.01	0.01
6.05 ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर										
कारपोरेशन लिमिटेड	6855	...	35.73	35.73	...	35.73	35.73	...	28.12	28.12
6.06 फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स										
ट्रावणकोर	6855	60.00	60.00
जोड़		...	217.72	217.72	...	268.65	268.65	...	28.15	28.15
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ										
हेतु परियोजनाओं/स्कीमों के लिए										
एकमुश्त प्रावधान	4552	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	14.00	...	14.00
8. सरकारी उद्यमों में निवेश	4855	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	26.50	...	26.50
जोड़	6855	150.25	...	150.25	150.25	...	150.25	63.32	...	63.32
		150.50	...	150.50	150.50	...	150.50	89.82	...	89.82
9. अन्य कार्यक्रम										
9.01 एच.एफ.सी.एल., एम.एफ.एल,										
एफ.ए.सी.टी., एफसीआई तथा										
पीडीआईएल के यहाँ भारत										
सरकार के बकाया ऋण										
पर ब्याज तथा दण्ड ब्याज को										
बट्टे-खाते डालना	3475	520.98	520.98
बट्टे खाते की राशि को प्राप्तियों द्वारा										
समतुल्य करना	1475	-520.98	-520.98
निवल	
9.02 अन्य कार्यक्रम	2852	1.50	1.95	3.45	1.50	1.67	3.17	1.21	1.52	2.73
9.03 पीपीएल की बंदी पश्चात										
समायोजन देनदारियां	3475	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़		1.50	1.95	3.45	1.50	1.68	3.18	1.21	1.53	2.74
कुल जोड़		197.00	12945.70	13142.70	197.00	12073.00	12270.00	130.17	12698.00	12828.17

सं.8 / उर्वरक विभाग

ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005		
		बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
8.01 फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि.	12855	22.00	...	22.00	22.00	...	22.00	10.14	...	10.14
8.02 नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	12855	...	45.13	45.13	...	14.24	14.24	...	69.00	69.00
8.03 प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट (इंडिया) लि.	12855	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	...	1.50	1.50
8.04 राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	12855	...	68.77	68.77	...	67.49	67.49	...	120.82	120.82
8.05 मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	12855	14.00	...	14.00	14.00	...	14.00	12.68	...	12.68
8.06 ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड	12855	114.00	...	114.00	114.00	...	114.00	67.00	...	67.00
8.07 इंडियन फार्मर्स लिमिटेड										
8.08 फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड	12855	...	374.00	374.00
8.08 कृषक भारती कॉर्पोरेटिव लिमिटेड	12855	...	374.85	374.85	...	205.19	205.19	...	171.00	171.00
जोड़		150.50	862.75	1013.25	150.50	286.92	437.42	89.82	362.32	452.14
ग. आयोजना परिव्यय										
1. उर्वरक उद्योग	12855	197.00	862.75	1059.75	197.00	286.92	483.92	130.17	362.32	492.49

1. इसमें विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था है।

2. चूंकि उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहीं है, इसलिए कमी को पूरा करने के लिए आयात का प्रबन्ध किया जाता है। इसकी लागत में मोटे तौर पर आयातित उर्वरकों की कीमत और उर्वरक उठाने-धरने तथा उनके वितरण की लागत शामिल होती है। किसानों को आयातित उर्वरकों की बिक्री की कीमतें उर्वरक नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत नियंत्रित की जाती हैं और इस प्रकार उपभोक्ता कीमतें सांविधिक रूप से विनियमित होती हैं। यह विक्रय मूल्य स्वदेशी उत्पादन के विक्रय मूल्य जैसा ही होता है। किसानों को उर्वरकों की बिक्री से प्राप्त राशि और आयात की सरकारी लागत के बीच का अन्तर उर्वरकों के आयात पर दी जाने वाली सब्सिडी का द्योतक है।

2.01 इसमें किसानों के लिए रियायती दर पर फास्फेटी और पोटाशी उर्वरकों की नियंत्रण मुक्त की गई बिक्री की योजना के अधीन विनिर्माताओं/एजेंसियों को भुगतान करने के लिए व्यवस्था है। इस रियायत से मिट्टी की बेहतर लाभदायकता और उत्पादकता के लिए उर्वरक (एनपीके) पोषकों का संतुलित प्रयोग होगा। इस प्रयोजन के लिए प्रावधान वर्ष 2000-2001 में कृषि और सहकारिता विभाग की मांग में किया गया था। अब इसे उर्वरक विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है।

3. यह व्यवस्था उर्वरक प्रतिधारण मूल्य स्कीम के अन्तर्गत आर्थिक सहायता के लिए है, जिसमें यूरिया के उत्पादन के लिए भाड़े संबंधी आर्थिक सहायता भी शामिल है। यह सब्सिडी स्कीम किसानों को उचित कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराने और उर्वरकों के उत्पादकों को उनके निवेश पर उचित लाभ दिलाने के लिए है। उर्वरकों की बिक्री उर्वरक नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत समय-समय पर निर्धारित निर्गम मूल्यों पर की जाती है।

4. यह व्यवस्था वर्षासिंचित कृषि परियोजना के लिए है जो यूनाइटेड किंगडम (ई.ए.पी.)से ओ.डी.ए. अनुदान के अन्तर्गत कृमको द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

5. प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट (इंडिया) लिमिटेड (पी.डी.आई.एल.) को अनुदान देने का उद्देश्य उर्वरक उद्योगों के लिए उत्प्रेरक विकास तथा आवश्यक तकनीकी जानकारी हेतु स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास करना है। इसमें एस एंड टी कार्य के साथ जैव-उर्वरकों के उत्पादन की आवश्यक जानकारी के विकास के लिए व्यवस्था शामिल है।

6. एच. एफ. सी, एफ.सी.आई, पी.डी.आई.एल, पी.पी.सी.एल. और बी.वी.एफ.सी.एल. के लिए आयोजना-भिन्न ऋणों की व्यवस्था करने का उद्देश्य यह है कि ये कम्पनियां अपनी संसाधनों संबंधी कमी को पूरा कर सकें। एफ.सी.आई. और एच.एफ.सी. रुग्ण कम्पनियां हैं जिन्हें एस.आई. सी.ए. के तहत वी.आई.एफ.आर. के लिए भेजा गया है। पी.पी.सी.एल. ने अपने सभी क्रियाकलाप बंद कर दिए हैं।

7. यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए है।

8. सरकारी उद्यमों में निवेश

इन उद्यमों के बजट सहायता की इक्विटी और ऋण-वार ब्यौरे और आन्तरिक और बजट बाह्य संसाधन व्यय बजट स्पर्ण-I में दिए गए हैं।

8.01. **उर्वरक और रसायन ट्रावनकोर लिमिटेड(एफएसीटी):** यह नाइट्रोजनी और फास्फेटी-उर्वरकों, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, सल्फर डाईआक्साइड आदि के उत्पादन में लगा है। कंपनी की तीन संचालित इकाईयां हैं -- एक इकाई

उदमागंडल तथा अन्य दो कोचीन में स्थित हैं। सभी तीन इकाईयों की संस्थापित क्षमता नाइट्रोजन के संदर्भ में 3.26 लाख टन, पी 205 के लिए 1.27 लाख टन तथा कैप्रोलैक्टम के लिए 0.50 लाख टन है।

8.02 **राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड (एन.एफ.एल.)** कंपनी के 5 एकक अर्थात् नांगल-1 और नांगल-2 भट्टिडा, पानीपत और विजयपुर हैं, जिनकी कुल वार्षिक क्षमता 14.88 लाख टन नाइट्रोजन के उत्पादन की है।

कम्पनी ने भट्टिडा, पानीपत और नांगल में नांगल आधुनिकीकरण संयंत्र चरण-I में अपने उर्वरक संयंत्रों में कैप्टिव विद्युत संयंत्र चालू किए हैं। 1071.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से गुना, मध्यप्रदेश में विजयपुर विस्तार परियोजना जो 7.26 लाख टन प्रतिवर्ष की अतिरिक्त क्षमता का सृजन कर रही है, 1997 में शुरू की गई।

8.03 **प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पी.डी.आई.एल.)** इसमें उर्वरकों के क्षेत्र में रूपांकन इंजीनियरी और परामर्श सेवाएं प्रदान करने वाला एकक, अनुसंधान और विकास प्रभाग तथा उपस्कर और पात्रों (वैसलों) का निर्माण करने वाली कर्मशाला है जो रूपांकन इंजीनियरी, तकनीकी अधिप्राप्ति, पर्यवेक्षण, निर्माण और कमीशनिंग आदि के क्षेत्र में उर्वरक कंपनियों की सहायता कर रही है। यह कम्पनी उर्वरक उद्योग के लिये उत्प्रेरकों के उत्पादन का काम भी करती है।

8.04 **राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड (आर.सी.एफ.एल)** यह कम्पनी नाइट्रोजनी और फास्फेटी उर्वरकों तथा कुछ औद्योगिक उत्पादों जैसे मेथानोल, अमोनियम नाइट्रेट आदि के उत्पादन में लगी है। इस समय कम्पनी की चार चालू यूनिटें अर्थात् ट्राम्बे-4, ट्राम्बे-5 और थाल हैं, जिनकी संस्थापित क्षमता 9.55 लाख टन नाइट्रोजन और 1.20 लाख टन पी2 ओ5 तथा 0.45 लाख टन कै2ओ का उत्पादन करने की है।

8.05 **मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एम.एफ.एल.)** यह कम्पनी संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी थी, जिसमें भारत सरकार, नेशनल इरानियन आयल कम्पनी और संयुक्त राज्य अमरीका में निगमित एमोको इंडिया की भागीदारी थी। एमोको इंडिया के शेर आंशिक रूप से भारत सरकार द्वारा और आंशिक रूप से नेशनल इरानियन आयल कम्पनी द्वारा स्वरीद लिए गए हैं। यह कम्पनी यूरिया और मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन करती है।

8.6 **ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड:** एच एफ सी की चालू इकाई अर्थात् नामरूप-I, नामरूप-II तथा नामरूप-III को पृथक कर ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड नामक एक नई कम्पनी में शामिल किया गया है जिसकी यूरिया की उत्पादन क्षमता प्रतिवार्षिक 5.5 एल.एम.टी होगी।

8.08 **कृषक भारती सहकारी समिति लिमिटेड (कृभको)** कृषक भारती सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा गुजरात में हजीरा नामक स्थान पर एक बड़े आकार के अमोनिया/यूरिया कामप्लेक्स का निर्माण सहकारी क्षेत्र में किया गया है। प्राकृतिक गैस पर आधारित इस परियोजना की स्थापित क्षमता 6.68 लाख टन नाइट्रोजनी उर्वरक उत्पादन की है।

9 इसमें उर्वरक उद्योग समन्वय समिति के कार्यालय जो कि उर्वरक विभाग का एक सम्बद्ध कार्यालय है, हेतु आयोजना-भिन्न सहायता प्रबंध सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुदान और उर्वरक उद्योग के क्षेत्र में उत्पादकता पुरस्कार के लिए अनुदान और एच.एफ.सी. एफ.सी.आई, पी.डी.आई.एल, एम.एफ.एल. तथा एफ.ए.सी.टी. द्वारा देय भारत सरकार के ऋणों, ब्याज और दायिक ब्याज को बट्टे साते में डालना शामिल है।